9.4.18

पत्रावली पर। उपजिलाधिकारी महोदय उपस्थित। तहसीलदार के उपस्थित पालना रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली अग्रिम उपस्थित पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 28.5.18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवाड़ी

11.5.18

पत्रावली शपथ पत्र श्री अदालत अभियान न्यायालय द्वारा 2018 केस धारा 5 में दायर समक्ष पेश हुई। उपस्थित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार रेवाड़ी ने बताया कि विभाजन की डिक्री 18.9.2006 को जारी हुई थी एवं इसकी इंतकाल दि. 2.5.2008 को पेश की गई थी। जिस में विभाजित भूमि के खातेदारों की मूल्य हो गई तथा उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हो गए हैं। इसके अतिरिक्त कई खातेदारों ने अपने हक हिस्से की भूमि का अन्य को बेचान करने से नए खातेदारों के नाम भी दर्ज हो गए हैं। इस प्रकार 15 वर्ष पश्चात डिक्री की पालना की जाना संभव नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवाड़ी